18.10.2022

पक्षकारान वकील उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन करते हुए तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान वकील को सुना गया।

विप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसरण में न्यायालय हाजा में अन्य प्रकरण आवेदन स 05/2018 हरजीराम व अन्य बनाम रूपाराम के साथ-साथ इस आवेदन पर बहस सुनी गयी।

प्रार्थी वकील की बहस है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 55/12 रकबा 1.10 बीघा ग्राम मोतीनगर तहसील सिणधरी में आया हुआ है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच किसी प्रकार कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण तथा विप्रार्थीगण के बीच पैदावार संबंधी खेतों के सेढ़ा को लेकर आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम मोती नगर पटवार हल्का सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 55/12 रकबा 1.10 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:21:16 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी की बहस है प्रकरण में वर्णित तथ्यों अनुसार खसरा नम्बर 55/12 के मूल खसरा नम्बर 55/8 के सन्दर्भ में घोषणात्मक वाद अन्तर्गत धारा 88 के न्यायालय में विचाराधीन है तथा उसके मौका एवं कब्जा काश्त की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। उक्त प्रकरण के विचरण के दौरान यदि इस प्रकरण के जरिये नेखमबंदी की कार्यवाही की जाती है तो पक्षकारान के द्वारा चाही गई

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

36/2018

इस्तदुआ प्रभावित होगी तथा कब्जा काश्त भी प्रभावित होगें, ऐसी स्थिति में जब तक कि मूल वाद अन्तर्गत धारा 88 मुकदमा नं. 05/2018 हरजीराम बनाम रूपाराम में विधिक निर्णय जरिये साक्ष्य/सबूत के होने तक इस नेखमबंदी की कार्यवाही को स्थगित रखी जाये।

हमनें दोनों पक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा आवेदन सं. 36/2018 अन्तर्गत धारा 111,128 सुरेश कुमार बनाम रावताराम का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 55/12 रकबा 1.10 बीघा ग्राम मोतीनगर तहसील सिणधरी की पक्की नेखमबंदी हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि [redacted] खसरा नम्बर 55/12 के मूल खसरा नम्बर 55/8 के संबंध में पक्षकारान द्वारा घोषणामक वाद प्रस्तुत करते हुए पैतृक खातेदारी जोत में अपने हिस्से से अधिक भूमि बैचान करने की इस्तदुआ को दृष्टिगत रखते हुए पेश किया है, जो कि न्यायालय में वर्तमान में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया न्यायालय को इस बात की संतुष्टि है कि पक्षकारान के मध्य विवाद का मूल कारण पक्षकारान के सामलाती जोत में घोषणा तथा उसके क़ब्जा काश्त को लेकर है। यदि उक्त आवेदन पत्र पर मूल वाद 05/2018 हरजीराम बनाम रूपाराम में जरिये साक्ष्य/सबूत के विधिवत निर्णय से पूर्व किसी प्रकार का आदेश पारित कर दिया जाता है अथवा यदि मूल वाद के निर्णय से वर्तमान रेकर्ड में कोई रदोबदल की परिस्थितियां उत्पन्न होती है अथवा मौका पस्थितियों में कोई भिन्नता प्रकट होती है तो ऐसी स्थिति में पक्षकारान के मध्य कब्जा काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न होने के साथ ही अनावश्यक कानूनी पैचिदगियां बढ़ जायेगी तथा विवाद के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब की प्रबल सभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त आवेदन के अग्रिम कार्यवाही को स्थगित रखा जाना न्यायिक दृष्टिकोण से अति आवश्यक है।

लिहाजा उपरोक्त स्थिति को मददेनजर रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र मूल वाद 05/2018 हरजीराम बनाम रूपाराम में जरिये साक्ष्य/सबूत के विधिवत निर्णयाधीन रखते हु[illegible] पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि विचाराधीन मूल वाद के [illegible] के अनुसरण में यदि वर्तमान रेकर्ड, मौका एवं कब्ज[illegible] उत्पन्न नहीं होती हो तो इसी आवेदन को पुनः बरामदगी करवाते [illegible] इस्तदुआ के अनुरूप आगामी आवश्यक कार्यवाही करवाने के लिए स्वतन्त्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:21:16 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी